4. विविध

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक 21 जनवरी, 2000

संख्या-8/पी 3-19/97 का०-564—समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायकों के संवर्ग के स्थापना का कार्य कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा किया जा रहा है। इस पद का सृजन एवं राशि का आबंटन राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। विचारोपरान्त राज्य सरकार मे निर्णय लिया है कि समाहर्त्ता के निजी सहायक संवर्ग के स्थापना एवं प्रोन्नति संबंधी विषय का निष्पादन अधिसूचना निर्गत की तिथि से राजस्व पर्षद द्वारा किया जायेगा। समाहर्त्ता के निजी सहायक के संवर्ग का संवर्गीय नियमावली दिनांक 28 जनवरी, 1978 को अधिसूचना सं०-8/एम 1-1026/74 द्वारा निर्गत है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार समाहर्त्ता के निजी सहायक के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रमण्डलीय आयुक्त की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद सदस्य,राजस्व पर्षद के अनुमोदन से इस पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/- बैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-564 पटना, दिनांक 21-1-2000

प्रतिलिपि-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/- बैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-564 पटना, दिनांक 21-1-2000

प्रतिलिपि-अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए उसकी 500 (पांच सौ) प्रतियां अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायी जाय।

ह०/- बैद्यनाथ प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

बिहार गजट असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 माघ 1899 (श०)

(सं० पटना 90) पटना, शनिवार, 28 जनवरी 1978

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

अधिसूचना

28 जनवरी, 1978

जी० एस० आर० 1- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल सभी समाहर्त्ता एवं उपायुक्त, जहां हों, उनके निजी सहायक की भर्ती एवं संवर्ग संधारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग 1

1. **संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ ।**- यह नियमावली जिलों के समाहर्त्ता एवं जिलों के उपायुक्तों के निजी सहायक की सेवा (भर्ती एवं संवर्ग संधारण) नियमावली, 1977 कहलायेगी और यह अधिसूचना बिहार-राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होगी ।

2. **परिभाषायें ।**- जबतक कोई बात विषय या प्रसंग के विरुद्ध न हों; इस नियमावली में :-

(क) "आयोग" से तात्पर्य है "बिहार लोक-सेवा आयोग";

(ख) "सरकार" से तात्पर्य है "बिहार सरकार" ;

(ग) "राज्यपाल" से तात्पर्य है "बिहार के राज्यपाल" ;

(घ) "अनुसचिवीय पदाधिकारी" से तात्पर्य है बिहार सेवा-संहिता के नियम में वर्णित अनुसचिवीय पदाधिकारी जिसमें कार्यालय अधीक्षक शामिल हैं ;

(ङ) "समाहर्त्ता" से तात्पर्य है "जिला के समाहर्त्ता";

(च) "उपायुक्त" से तात्पर्य है "रांची, सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद तथा दुमका जिला के जिला पदाधिकारी";

(छ) "संवर्ग" से तात्पर्य है "समाहर्त्ता के निजी सहायकों का संवर्ग" ।

संवर्ग

3. (क) समाहर्त्ता के निजी सहायकों का संवर्ग सभी जिलों के समाहर्त्ता एवं उपायुक्तों के निजी सहायकों के पद द्वारा गठित होगा । इसमें यदि किसी जिला में अतिरिक्त निजी सहायक का पद हो तो वह भी शामिल रहेगा । निजी सहायक का वेतनमान 445-15-560- द० रो०-20-740-द० रो० 25-840 रु० अथवा सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित वेतनमान में होगा ।

(ख) यदि किसी जिला में अनुसचिवीय पदाधिकारी से प्रोन्नति देकर समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक की नियुक्ति नहीं हुई हो या होने में कुछ विलम्ब हो तो उस अवधि में समाहर्त्ता/उपायुक्त कार्यहित में उप-समाहर्त्ता की सेवा निजी सहायक के रूप में ले सकते हैं, परन्तु ऐसे उपसमाहर्त्ता अपने संवर्ग के वेतनमान में वेतन प्राप्त करेंगे तथा उनका समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायकों के संवर्ग से कोई संबंध नहीं रहेगा ।

नियुक्ति

4. (क) समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायकों की नियुक्ति नियम 5 के अनुसार समाहरणालयों के अनुसचिवीय पदाधिकारी के संवर्ग से प्रोन्नति देकर की जायेगी ।

(ख) समाहर्त्ता के निजी सहायकों के पद पर प्रोन्नति के लिये सुयोग्य अनुसचिवीय पदाधिकारी उपलब्ध नहीं होने पर उप-समाहर्त्ता को स्थानापन्न रूप से भी नियुक्त किया जा सकेगा । परन्तु इस प्रकार नियुक्त समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक इस संवर्ग में नहीं आ सकेंगे ।

5. (क) जिस जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक का पद रिक्त है, उस जिला के समाहर्त्ता/उपायुक्त अनुसचिवीय पदाधिकारी के संवर्ग से नामों का चयन करेंगे और उन पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख तथा उनसे वरीय पदाधिकारियों के सेवा अभिलेख एवं वरीय पदाधिकारियों को अवक्रमित करने के कारण के साथ अपनी अनुशंसा प्रमण्डलीय आयुक्त को भेज देंगे । प्रमण्डलीय आयुक्त संबंधित समाहर्त्ता/उपायुक्त एवं अपने प्रमण्डल के एक अन्य समाहर्त्ता/उपायुक्त की एक समिति गठित करेंगे । उक्त समिति में उसी प्रमण्डल के एक अनुसूचित जाति/जनजाति के पदाधिकारी भी सदस्य के रूप में रहेंगे । समिति उस पर विचार कर अपनी अनुशंसा सभी कागजात के साथ सरकार को भेजेगी। सरकार विचार करेगी तथा बिहार लोक-सेवा आयोग से अनुशंसा प्राप्त कर समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक की नियुक्ति करेगी ।

परीक्ष्यमान अवधि एवं संपुष्टि

6. समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक को नियुक्ति की तिथि से दो वर्ष की परीक्ष्यमान अवधि पर रखा जायेगा और यदि उनका कार्य एवं आचरण संतोषजनक हो तो समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक के पद पर संपुष्ट किया जा सकेगा ।

वरीयता

7. (i) संवर्ग में निजी सहायकों की आपसी वरीयता उनकी उक्त पद पर नियुक्ति की तिथि के अनुसार निर्धारित होगी ।

(ii) यदि दो या दो से अधिक पदाधिकारी एक साथ प्रोन्नत होंगे तो उनकी वरीयता जिस पद पर प्रोन्नति पाकर वे समाहर्त्ता/उपायुक्त के निजी सहायक के पद पर नियुक्त हुए हों, इस पद पर उनकी वरीयता निचले पद पर की वरीयता के अनुसार निर्धारित की जायेगी । यदि दो या अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति एक ही साथ होती है तो जो व्यक्ति उच्चतर पद से आया है, वही वरीय होगा । इतना पर भी यदि किसी प्रकार की उलझन वरीयता से संबंधित हो तो सरकार का निर्णय मान्य होगा ।

8. समाहर्त्ता के निजी सहायकों का स्थानान्तरण जिस प्रमण्डल में वे पदस्थापित हैं, सामान्यतः उसी प्रमण्डल में किया जायेगा, परन्तु अत्यावश्यक जनहित एवं कार्यहित और अन्य कारणों से उन्हें राज्य के किसी जिला में स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।

9. एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण के लिये कोई समय की सीमा निर्धारित नहीं रहेगी ।

सामान्य

10. समाहर्त्ता के निजी सहायक की नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेशों को इस नियमावली के प्रकाशन की तिथि से विलोपित समझा जायेगा तथा अभीतक समाहर्त्ता के निजी सहायकों के पद पर जितनी नियुक्ति की गयी है, उन्हें इस नियम के अधीन की गयी समझी जायेगी ।

(8/एम 1-1026/74)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मुकुन्द प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

पत्र संख्या-12/प-1067/98 का०-7032

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

डा० बी० राजेन्दर, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी (सीतामढ़ी एवं गिरिडीह को छोड़कर)/सभी उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 16 अगस्त, 1999 ।

विषय :- पेटी केसों के निष्पादन हेतु जिला में कार्यरत कार्यपालक दंडाधिकारियों को विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक-12105 दिनांक 17/11/98 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि जिले में पदस्थापित वैसे कार्यपालक दण्डाधिकारी का नाम विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने का नाम अनुशंसित करें जो उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित विशेष न्यायिक दंडाधिकारी/विशेष मेट्रोपोलिटन दण्डाधिकारी नियम 1974 के अन्तर्गत निम्नांकित योग्यता में से किसी एक योग्यता पूरी करते हैं :-

1. विधि स्नातक हों,

2. या, क्रिमिनल प्रोसिडियोर कोड 1878 के तहत कम से कम एक वर्ष तक दण्डाधिकारी की शक्तियों के अधीन मामलों का निष्पादन किये हों ।

3. या, क्रिमिनल प्रोसिडियोर कोड 1973 के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष तक कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग किये हों ।

4. या, जो विधि संबंधी मामलों में कम से कम तीन वर्षों का अनुभव रखते हों ।

पदाधिकारियों के शक्ति प्रदान करने के अनुशंसा के साथ इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य दें कि – ''उपरोक्त पदाधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी/विशेष मेट्रोपोलिटन दण्डाधिकारी नियम 1974 के अन्तर्गत आवश्यक योग्यता पूरी करते हैं।''

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित सूचना फैक्स के माध्यम से कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ताकि उन्हें विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई किया जा सके।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/- बी० राजेन्दर

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 12/प –1067/98 का०–7032 पटना–15, दिनांक 16 अगस्त, 1999

प्रतिलिपि :– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक 11798 दिनांक 19/9/98 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/- बी० राजेन्दर

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्र संख्या-3/सी 3-3034/98 का०-8403

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री ए. बी. प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी सचिव,

सभी विभागाध्यक्ष,

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 31 जुलाई, 98

विषय :- **एल. पी. ए./अपील एवं स्थगन आदेश विचाराधीन रहने की अवधि में वादी द्वारा अवमाननावाद दायर किये जाने की स्थिति में कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में । (कार्मिक एवं प्र. सु. विभाग के पत्रांक-4253 दिनांक 18.4.98 के क्रम में)**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 3/सी 3-3034/98 का.-4253 दिनांक 18.4.98 के क्रम में सिविल अपील संख्या 3932/92 मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज (इंडिया) लि. बनाम सच्चिदानन्द दास एवं अन्य में सर्वोच्चय न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति भेजते हुए अनुरोध करना है कि इसे कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक-4253 दिनांक 18.4.98 के साथ संलग्न कर तदनुसार अपेक्षित कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विभागाध्यक्ष

ह०/-ए. बी. प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-8403

पटना, दिनांक 31.7.98

प्रतिलिपि :- महाधिवक्ता, बिहार, उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-ए. बी. प्रसाद

सरकार के अपर सचिव ।

1995, Supp (4) Supreme Court Cases 465

MODERN FOOD INDUSTRES (INDIA) LTD.

VS.

SACHINDANAND DAS AND ANOTHER

CIVIL APPEAL NO. 3932 of 1992, decided on September 21, 1922. Contempt of Court-Initiation of contempt proceedings for non-compliance with, during pendency of appeal and application for staying operation of the impugned order–held, not proper–proper course in such cases stated-contempt of Courts Act, 1971, as 2 (b) & 12.

ORDER

1. M/s Modern Food Industries (India) Ltd. and its C.M.D. seek special leave to appeal to this court from the order dated 3.7.92 made by High Court of Patna in M. J. C. No. 555 of 1991.

2. We have heard Shri Mukul Mudgal, learned counsel for the petitioners. The respondents, though sowed, have remained unrepresented special leave granted.

3. The learned Single Judge of the High Court by the order dated January 10.1.92 quashed the order of termination of the services of the first respondent by the appellants and directed his reinstatement and payment of back salary, Appellants preferred an appeal to the Division Bench and also sought a stay pending appeal of the operation of the learned Single Judge's order. The Division Bench did not take up the appeal for admission nor considered the prayer for interlocutory stay. In the meanwhile, on the allegation that the learned Single Judge's order has not been obeyed; the first respondent moved for initiation of proceedings of contempt against the appellants pursuant to which the High Court directed the Chairman of the First appellants to appear in person so that the complaint of contempt be proceeded with.

4. Before the High Court, appellants urged that before any contempt proceedings could be initiated it was necessary and appropriate for the Divison Bench to examine the prayer for stay, or also, the appeal might itself become infructuous. This did not command itself to the High Court which sought to proceed with the contempt first. We are afraid, the

course adopted by the High Court does not command itself as proper. If without considering the prayer for stay, obedience to the Single Judge's order was insisted upon at the pain of committal for contempt, the appellants may find, as has now happened, the very purpose of appeal and prayer for interlocutory stay infructuous. It is true that a mere filing of an appeal and an application for stay do not by themselves absolve the appellants from obeying the order under appeal and that any compliance with the learned Single Judge's order would be subject to the final result of appeal. But then the changes brought about in the interregnum in obedience of the order under appeal might themselves be a cause and source of prejudice whereever the order whose disobedience is complained about is appealed against and stay of its operation is pending before the Court, it will be appropriate to take up for consideration the prayer for stay either earlier or atleast simultaneously with the complaint for contempt. To keep the prayer for stay stand by and to insist upon proceeding with the complaint for contempt might in many conceivable cases, as here cause serious prejudice. This is the view taken in State of J & K Vs Mohd Yaqoob Khan (1 (1992) 4 Sec. 167).

5. In the present case, under the threat of proceedings of contempt, the appellant had to comply with the order of the learned Single Judge notwithstanding the pendency of their appeal and the application for stay. The petitioners are confronted with a position where their stay application is virtually tendered infructuous by the steps they had to take on threat of contempt.

We, accordingly, direct that all further proceedings in the concempt proceedings be stayed. It will be appropriate for the High Court to take up and dispose of the application for stay without reference to the developments in the interregnum, namely that the respondent had to obey the order of the learned Single Judge under pain of proceedings of contempt. Depending upon the outcome of the apellants applications for stay, the further question whether or not the reinstatement should be reserved would arise.

The appeal is disposed of accordingly.

पत्र संख्या-3/सी 3-30153/97 का०-2978

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री ए० बी० प्रसाद, सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 21 मार्च, 1998 ।

विषय :- समय-सीमा के अंदर अपील दायर किये जाने के सम्बन्ध में ।

प्रसंग :- एल० पी० ए० सं०-1327/96, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम लक्ष्मीकांत पांडेय ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना का आदेश है कि किसी 'न्यायादेश' के विरुद्ध अपील समय-सीमा के अंदर दायर किया जाय । यदि किसी न्यायादेश के विरुद्ध अपील विलम्ब से दायर किया जाता है तो अपील में विलम्ब के कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाय ।

माननीय उच्च न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि यदि राज्य सरकार के पदाधिकारी इसके लिए जवाबदेह पाये जाते हैं तो यह misfeasance (अपकरण) का मामला बनेगा ।

एल० पी० ए० सं०-1327/96, राज्य सरकार एवं अन्य बनाम लक्ष्मीकांत पांडेय में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश संख्या-4, दिनांक - 16.12.97 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

ह०/- ए० बी० प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

In the High Court of Judicature at Patna

L.P.A. No. 1327 of 1996

The State of Bihar and ors. Vs. Laxmi Kant Pandey.

For the appellants: Mr. N. N. Sinha: G. P. 9

4. 16. 12.97 : Heard learned Government Pleader on the question of condoning of delay.

This appeal is hopelessly barred by 114 days. The impugned order was passed on 15.7.1996 and the copy of the order was received on 6.8.1996 i.e. within the period of limitation, yet no prompt action was taken to file the appeal within the statutory period of limitation but the appeal was filed on 6.12.1996 assigning no cogent reason except to say that the file for seeking opinion was being shunted to section to section. Indeed, that cannot be a ground much less sufficient ground or good ground for condoning the delay.

In JT 1997 (8), 189 (P. K. Ramchandran V. State of Kerala and Anr.) their lordships of the Supreme Court laid down that the law of limitation may harshly effect a particular party but it has to be applied with all its rigour when the statute so prescribe. Learned Counsel for the appellants, though, relied on a number of decisions of the Supreme Court, but, this decision being the latest one, we follow the dictum laid down therein.

The application for condoning the delay is accordingly, rejected. Consequently, the appeal is dismissed as barred by limitation.

Learned Counsel for the appellants invited the attention of the Court that by earlier order this Court has noticed the respondent on the question of limitation as well as admission. In this regard, we would like to make it clear that if the appeal is not properly construed by condoning the delay, the question of admission at this stage does not arise. Therefore, we are not considering the admission matter.

We further make it clear that if the officers of the State are found responsible for laches on their part, indeed, it will be a case of misfeasance. It is for the State Government to take appropriate action against them.

Sd/-B. M. Lal, C. J.

Sd/-Shashank Kr. Singh, J.

पत्रांक-9/से. नि. 18-372/94 (पार्ट-II) का.-570

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

मो. हारूण रशीद,

उप सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी सचिव ।

सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 21 अगस्त, 1997

विषय :- बिहार कोषागार नियम 276 (2) के अन्तर्गत वेतन विपत्र तैयार करने हेतु अनुपस्थिति प्रतिवेदन का उपस्थापन ।

महोदय,

निदेशानुसार अनुरोध है कि वित्त विभाग के पत्रांक-4782 दिनांक-20.8.97 के द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निजी सहायक संयुक्त संवर्ग के कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु हर माह में 20 (बीस) तारीख तक अनुपस्थिति प्रतिवेदन वित्त (लेखा) विभाग में निश्चित रूप से उपलब्ध करा देने का अनुरोध किया गया है । इसके अभाव में उक्त महीने का वेतन बना सकना संभव नहीं हो पायगा ।

अतः अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ एवं आपके विभाग में कार्यरत निजी सहायक संवर्ग के सभी कर्मचारियों/पदाधिकारियों का अनुपस्थिति प्रतिवेदन सीधे वित्त (लेखा) विभाग को उक्त माह के 20 (बीस) तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि उक्त माह का वेतन स-समय बनाया जा सके । साथ ही इसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी पृष्ठांकित करने का कष्ट करें ।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,
ह०/-हारूण रशीद
उप सचिव ।

ज्ञापांक 570 पटना, दिनांक 21 अगस्त, 1997

प्रतिलिपि :- सभी मंत्री/राज्य मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ । अपर निबंधक, वित्त (लेखा) विभाग, बिहार, पटना, को उनके पत्रांक 4732, दिनांक 20-8-97 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-हारूण रशीद
उप सचिव ।

संख्या-सं० प०/आ०-011/94-65

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस० एन० विश्वास, आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 8 सितम्बर, 1994

विषय :- जनता से साक्षात्कार करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित मुख्य सचिव के पत्रांक 902 दिनांक 4-3-94 (प्रतिलिपि संलग्न) की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना है कि सरकार के समक्ष ऐसे दृष्यान्त आ रहे हैं जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि मुख्य सचिव के उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र का अनुपालन अक्षरशः नहीं किए जाने के फलस्वरूप विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों से राज्य के अन्य जिलों अथवा बाहर से आये आम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है जिससे सरकार के उद्देश्य एवं ध्येय की पूर्ति नहीं हो पा रही है । सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लिया है ।

2. अतएव आप से पुनः अनुरोध है कि कार्यालय अवधि में मुख्यालय में उपस्थित रहने पर राज्य के अन्य जिलों एवं बाहर से आये आम जनता की समस्यायें मनोयोग से सुनें और उनकी समस्याओं का यथासंभव निराकरण करने का प्रयास करें ।

3. संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा की गई कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करावें ।

कृपया इसे आवश्यक समझा जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस० एन० विश्वास,

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या 3/सी० एस०/एम०-101/94-902

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय

प्रेषक,

श्री ए० के० बसाक, सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 4 मार्च, 1994 ।

विषय :- जनता से साक्षात्कार करने के संबंध में ।

महाशय,

मेरी नजर में ऐसे दृष्टांत आए हैं, जिनमें विभागीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा उनसे मिलने आए लोगों से मुलाकात नहीं की जाती है । कभी-कभी ऐसा भी होता है कि राज्य के अन्य जिलों अथवा बाहर से आये हुए व्यक्तियों से भी मुलाकात नहीं की जाती है तथा उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है । इस कारण से जनता में एक असंतोष मनोभाव की संभावना हो सकती है ।

2. अतः आप सभी से अनुरोध है कि कार्यालय अवधि में मुख्यालय में उपस्थित रहने की स्थिति में आप मुलाकात करने वाले लोगों से उनकी समस्याओं को अवश्य सुनें । इसके लिए संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक,

सरकार के मुख्य सचिव ।

पत्रांक 18/सं० प०/अ०-106/91-07

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग
(संगठन एवं पद्धति शाखा)

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी ।

पटना 15, दिनांक 2 मार्च, 1994

विषय :- **प्रत्येक विभाग एवं जिला स्तर पर लोक शिकायत से संबंधित परिवादों के त्वरित निष्पादन के प्रयोजनार्थ लोक शिकायत कोषांग के गठन के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में यह कहना है कि लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का त्वरित निष्पादन सरकार का ध्येय रहा है ताकि लोक कल्याण को मूर्त रूप दिया जा सके । परन्तु प्राय: ऐसा देखा जा रहा है कि विभागों एवं जिला स्तरों पर प्राप्त लोक परिवादों पर शीघ्र अपेक्षित कार्रवाई नहीं की जा रही है । फलत: उन परिवादों के लम्बित रहने से सरकार की लोक कल्याण की नीति संबंधी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाती है । अतएव सरकार ने गंभीरतापूर्वक एवं सम्यक रूप से विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक विभाग एवं जिला स्तर पर लोक शिकायत कोषांग का गठन शीघ्र किया जाय । लोक शिकायत कोषांग को प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक विभाग में अपर सचिव/संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर एक वरीय उप समाहर्त्ता को प्रभारी बनाया जाए ।

2. विभागीय आयुक्त/सचिव एवं जिला पदाधिकारियों की यह दायित्व होगा कि वे समय-समय पर लोक शिकायत से संबंधित परिवादों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करें ताकि उनका त्वरित निष्पादन हो सके और लोक कल्याण के सरकार के उद्देश्य की अक्षरश: पूर्ति हो सके । इसी परिप्रेक्ष्य में यह निदेश दिया जाता है कि शीघ्रातिशीघ्र लोक शिकायत कोषांग का गठन कर उसके प्रभारी का मनोनयन कर विस्तृत सूचना अधोहस्ताक्षरी को दी जाए ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अ० कु० बसाक

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार, पटना ।

पत्रांक-3/सी. एस./एम. 304/91 3663

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय ।

प्रेषक,

श्री ए. के. बसाक,

सरकार के मुख्य सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 5-10-93

विषय :- **विभागीय कार्यवाही तथा सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोपों के मामलों का त्वरित निष्पादन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के प्रसंग में मुझे कहना है कि विभागीय कार्यवाही अथवा सरकारी सेवकों के विरुद्ध आरोपों के मामलों में निष्पादन के संबंध में सरकार द्वारा अनेक निर्देश समय-समय पर दिये गये हैं ।

2. मैं समझता हूँ कि उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इस विषय की संचिकाओं की जांच से जो त्रुटियाँ दीख पड़ रही हैं, की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ :-

(1) Disciplinary Rules के अन्तर्गत अनुशासनिक दंड दो प्रकार के हैं । Civil Services (Classification, Control and Appeal Rules) के रूल 55 के अनुसार सभी प्रकार के दंड के लिए पूर्ण विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । यथा लघु दंड के लिये विभागीय कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

(2) आरोप पत्र गठित करना, साक्ष्य अभिलेख तैयार करना तथा जहां आवश्यक समझे, साक्ष्य को प्रस्तुत करने की जिम्मेवारी संचालन पदाधिकारी का नहीं है, बल्कि प्रतिवेदित पदाधिकारी का है । प्रतिवेदित पदाधिकारी की उदासीनता के चलते विभागीय कार्यवाही की गति मंथर हो जाती है ।

(3) आरोपित पदाधिकारी बहुधा अप्रासंगिक साक्ष्यों की प्रतिलिपि की मांग करते हैं, कभी-कभी तो मोटे-मोटे अभिलेख अथवा मोटी-मोटी पंजियों में वैसे साक्ष्य होते हैं । ऐसे मामलों के निष्पादन करने की प्रक्रिया नियुक्ति विभाग के परिपत्र संख्या-5532, दिनांक 29-4-83 में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट कर दिया गया है । इसका अनुपालन शायद नहीं हो रहा है ।

(4) जहां विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा मंथर गति अपनाई जाती है वहां उनके विरुद्ध भी अनुशासनिक कार्रवाई अपेक्षित हो जाती है । इस ओर सभी संचालन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट करना आवश्यक है । विभागीय कार्यवाही समाप्त करने के लिए एक समय सीमा (यथा 6 माह) निर्धारण करना उचित होगा ।

(5) राजपत्रित पदाधिकारी या अराजपत्रित कर्मचारियों को निलंबन से मुक्त करने के संबंध में मंत्रिपरिषद् के निर्णय के उपरांत स्पष्ट मार्गदर्शन कार्मिक एवं प्र. सु. विभाग के परिपत्र सं.-9160, दिनांक 21-7-86 में दिया गया है । परन्तु निलम्बन से संबंधित मामलों में इस परिपत्र का संज्ञान नहीं लिया जा रहा है ।

3. कृपया राजकीय नियमों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी का ध्यान भी आकृष्ट कर दें ।

4. मैं अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर एक त्रैमासिक (जनवरी, अप्रील, जुलाई एवं अक्टूबर) प्रतिवेदन सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजेंगे । सचिव, कार्मिक विभाग इसकी नियमित समीक्षा कर मुझे देंगे ।

विश्वासभाजन
ह०/-ए. के. बसाक
सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक 3/सी. एस./एम.-304/91-3663 पटना-15, दिनांक 5-10-93

प्रतिलिपि :- राज्यपाल के सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-ए. के. बसाक
सरकार के मुख्य सचिव ।

संख्या-सं. प./18-03 /60

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस. एन. विश्वास,

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलायुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 14 जून, 1993

विषय :- विभागीय कार्यवाही के त्वरित निष्पादन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 45 दिनांक 23-6-92 एवं पार्श्वकिंत स्मार पत्रों के प्रसंग में उपर्युक्त विषय पर प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र संख्या-20909 दिनांक 15-11-77 एवं मुख्य सचिव के पत्र संख्या-13046 दिनांक 7-7-78 तथा पत्र संख्या-12127 दिनांक 17-7-79 का निर्देश करते हुए कहना है कि उपर्युक्त परिपत्रों में सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का निष्पादन शीघ्र हो इसके लिये नीति निर्धारित कर विस्तृत अनुदेश दिया गया था ।

लेकिन देखा गया है कि उपर्युक्त अनुदेशों का पालन विभागों द्वारा दृढ़तापूर्वक नहीं किया जा रहा है । फलस्वरूप विभागीय कार्यवाही के निष्पादन में अत्यधिक विलम्ब होता है जिसके चलते सरकारी सेवकों को काफी लम्बी अवधि तक निलंबन में रहना पड़ता है और इस अवधि के लिये जीवनयापन अनुदान पाते रहते हैं जिससे सरकार को काफी आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है ।

इसके अतिरिक्त अन्य समस्यायें भी अनावश्यक रूप से उत्पन्न होती हैं जिसका उल्लेख मुख्य सचिव के पत्र संख्या-188 दिनांक 9-1-1956 एवं ज्ञाप संख्या-4698 दिनांक 4-4-1960 में किया गया है । सरकार द्वारा निर्गत उपर्युक्त परिपत्रों में आवश्यक अनुदेशों के बावजूद विभागीय कार्यवाही का त्वरित निष्पादन नहीं हो पा रहा है । सरकार इसे गम्भीर स्थिति मानती है ।

अत: विभिन्न विभागों/कार्यालयों में लंबित विभागीय कार्यवाही का निष्पादन शीघ्र करने की कृपा की जाय ।

अत: अनुरोध है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (संगठन एवं पद्धति शाखा) में वांछित प्रतिवेदन यथा समय भेजवाने का कष्ट किया जाय ।

कृपया इससे अपने अधीनस्थ संबंधित पदाधिकारियों को अवगत कराने का कष्ट किया जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-एस. एन. विश्वास

सरकार के आयुक्त एवं सचिव ।

संख्या-ओ० एम०/एल 2-010/92-117

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री एस. एन. विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

सेवा में,

सरकार के सभी आयुक्त एवं सचिव

अध्यक्ष, वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग

सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 15 अक्टूबर, 1992

विषय :- बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के प्रावधान के आलोक में लोकायुक्त बिहार द्वारा राज्य सरकार के पदाधिकारियों से मांगे गये प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन एवं अधियाचित अभिलेखों को समय सीमा के तहत उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 धारा-11 एवं 13 (3) के प्रावधान के अन्तर्गत सूचित करना है कि राज्य सरकार के पदाधिकारियों से न्यायमूर्ति लोकायुक्त द्वारा यथा (1) अधियाचित प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदन एवं (2) अभिलेख समय पर नहीं भेजने के कारण न्यायमूर्ति लोकायुक्त के स्तर पर परिवाद पत्रों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है ।

2. इस विषय पर पूर्व में मुख्य सचिव द्वारा निर्गत कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-191 दिनांक 21 जून, 1986 तथा परिपत्र संख्या-306 दिनांक 24 सितम्बर, 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार लोकायुक्त कार्यालय से जो पत्र आदि भेजे जायें, उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में पूर्व की भाँति एक ''कोषांग'' का गठन करने का आदेश दिया गया था, ताकि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब न हो, किन्तु खेद है कि इस आदेश का पूर्ण रूप से अनुपालन नहीं किया जा रहा है ।

अतः अनुरोध है कि लोकायुक्त मामले, निष्पादन के लिये प्रत्येक विभाग में एक वरीय पदाधिकारी के अधीन एक "कोषांग" गठित कर एक पक्ष के अन्दर सूचना भेजी जाये तथा इसकी सूचना लोकायुक्त को भी दी जाय। इस कोषांग के गठन के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन नहीं किया जाय ।

3. इस आदेश की सूचना अपने अधीनस्थ सभी पदाधिकारियों को कृपया दे दी जाय ।

4. कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-एस. एन. विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

ज्ञाप संख्या-ओ.एम./एल 2-10/92-117 पटना-15, दिनांक 15 अक्टूबर, 1992

प्रतिलिपि - लोकायुक्त के सचिव को उनके ज्ञापांक 936 दिनांक 3-2-92 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/-एस. एन. विश्वास

आयुक्त एवं सचिव ।

पत्र संख्या-ओ० एम०/एल 2-015/86 191/ओ० एम०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,

सरकार के मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव /आयुक्त सह सचिव/ सचिव / सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 21 जून, 1986 ।

विषय :- लोकायुक्त द्वारा मांगी गयी सूचनायें, प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को भेजने में शीघ्रता बरतने के संबंध में ।

महाशय,

बिहार के लोकायुक्त के कार्यालय से शिकायत मिली है कि विभिन्न मामलों में उनके कार्यालय द्वारा मांगी गयी सूचनायें, प्रतिवेदन एवं अभिलेखों को भेजने में विभागों तथा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है जिससे मामलों को निपटाने में अत्यधिक विलम्ब होता है और उनके बाधायें उत्पन्न होती है । यह गंभीर स्थिति है । इस विषय में पूर्व में भेजे गये परिपत्र संख्या-507 दिनांक 18-7-74, 98 दिनांक-18-2-77 एवं 42 दिनांक 19-1-78 की एक एक प्रति पुनः संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि इस विषय पर आपके व्यक्तिगत ध्यान की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी शिकायत की पुनरावृत्ति न हो । लोकायुक्त कार्यालय से अधियाचित सूचनाएँ, प्रतिवेदन एवं संलेख आदि निर्धारित समय के अन्तर्गत निश्चित रूप से भेजे जाने की कृपया व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

सरकार के मुख्य सचिव ।

ज्ञाप संख्या-191 ओ. एम.

पटना-15, दिनांक 21 जून, 1986

प्रतिलिपि - बिहार लोकायुक्त के सचिव, लोकायुक्त कार्यालय, 4 कौटिल्य मार्ग पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-तारकेश्वर प्रसाद

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पत्र संख्या-ओ० एम०/एल 2-040/86-306/ओ० एम०

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

श्री कृष्ण कुमार श्रीवास्तव,

मुख्य सचिव, बिहार ।

सेवा में,

सरकार के सभी प्रधान सचिव /आयुक्त सह सचिव/ सचिव/

सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त ।

पटना-15, दिनांक 24 सितम्बर, 1986 ।

विषय :- लोकायुक्त से प्राप्त पत्राचार के शीघ्रता से निष्पादन के प्रयोजनार्थ विभागों के कोषांग का गठन ।

महोदय,

बिहार के लोकायुक्त के कार्यालय से शिकायत मिली है कि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विभागों द्वारा अनावश्यक विलम्ब किया जाता है, जिसके फलस्वरूप मामलों के निष्पादन में काफी कठिनाई होती है । साथ ही जनता पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

इस विषय पर पूर्व में निर्गत परिपत्र संख्या-522 दिनांक 18 जून, 76 की प्रति पुनः संलग्न करते हुए निदेशानुसार मुझे कहना है कि लोकायुक्त कार्यालय से जो पत्र आदि भेजे जांय, उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में पूर्व की भांति एक कोषांग का गठन किया जाय, ताकि लोकायुक्त द्वारा याचित प्रतिवेदन या सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब न हो ।

विश्वासभाजन,

ह०/-कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

मुख्य सचिव, बिहार ।

ज्ञाप संख्या-ओ०एम०/एल 2-040/86-306/ओ. एम. पटना, दिनांक 24 सितम्बर, 86

प्रतिलिपि-लोकायुक्त के सचिव को उनके पत्रांक 5287 दिनांक 26 अगस्त, 86 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/- कृष्ण कुमार श्रीवास्तव

मुख्य सचिव, बिहार ।

पत्र संख्या–ओ० एम०/एल० 2–019/76–522

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव ।

पटना–15, दिनांक 18 जून, 1976

विषय :– **लोकायुक्त से प्राप्त पत्राचार के शीघ्रता से निष्पादन के प्रयोजनार्थ विभागों में कोषांग का गठन ।**

महाशय,

निदेशानुसार, मुझे कहना है कि लोकायुक्त ने अपना वार्षिक प्रतिवेदन 1974–75 में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने प्रधान सचिवों के साथ दिनांक 16 जुलाई 1976 को हुई बैठक में यह सुझाव दिया था कि उनके कार्यालय से जो पत्रादि भेज जायं उनके तत्परता के साथ निष्पादन के प्रयोजनार्थ प्रत्येक विभाग में एक कोषांग का गठन किया जाय । मुझे अनुरोध करना है कि इस प्रसंग में की गयी कार्रवाई की सूचना इस विभाग को एक सप्ताह के भीतर दें । यह सूचना लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन के साथ विधान मंडल में पेश किये जानेवाले व्याख्यात्मक ज्ञापन में सम्मिलित करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षित है ।

विश्वासभाजन,

ह०/ सी. आर. बैंकटरमन,

सरकार के सचिव ।

संख्या-ओ० एम०/एल० 2-34/77-42

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(संगठन एवं पद्धति शाखा)

प्रेषक,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव

सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिलाधिकारी ।

पटना-15, दिनांक 19 जनवरी, 1978 ।

विषय :- सक्षम पदाधिकारियों एवं अन्य पदाधिकारियों को प्राप्त बिहार लोकायुक्त अधिनियम के अधीन प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा उसके अधीन अधियाचनों का अनुपालन ।

महोदय,

निदेशानुसार, मुझे कहना है कि बिहार लोकायुक्त अधिनियम 1973 के अधीन लोकायुक्त उसकी धारा-7 के उपबन्धों के अनुसार उनके सक्षम दायर किये गये शिकायत या अभिकथन संबंधी परिवादों का अन्वेषण करते हैं । ऐसे अन्वेषण के संचालन के क्रम में उन्हें अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत सुसंगत सूचनाओं या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है । उनके प्रयोजनार्थ उस धारा के अन्तर्गत संबंधित लोक सेवक से उन सूचनाओं या दसतावेजों के प्रस्तुतीकरण का आदेश देने का उन्हें पूरा अधिकार प्रदत्त है । अधिनियम की धारा 12 के अधीन अन्वेषण पूरा करने के पश्चात लोकायुक्त द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है उसे वे सक्षम प्राधिकारी को कार्रवाई के लिये भेजते हैं। लोकायुक्त संस्था को यह अनुभव रहा है कि लोकायुक्त द्वारा भेजे गये अधियाचनों या प्रतिवेदनों के अनुपालन में विलम्ब किया जाता है । इस विलम्ब का मुख्य कारण यह हो सकता है कि विभागाध्यक्षों या कार्यालयों के संबद्ध अधिकारियों को उपर्युक्त अधियाचनों या प्रतिवेदनों के अनुपालन के लिये जो समय सीमा निर्धारित है, उसकी सही जानकारी नहीं है । इस कारण इस व्यवस्था की आवश्यकता महसूस की गयी थी कि लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के शीघ्र निष्पादन के उद्देश्य से विभागों में इसके लिये एक विशिष्ट कोषांग का गठन किया जाय ।

2. विभागों/कार्यालयों की सुविधा के लिए लोकायुक्त के प्रतिवेदनों/अधियाचनों आदि के लिए जो समय सीमा निर्धारित है उन्हें एकत्रित रूप से नीचे प्रदर्शित किया जा रहा है–

(क) लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12 के अधीन सक्षम पदाधिकारियों के अनुपालन के लिए निर्धारित समय सीमाएँ–

(1) उपधारा-2 लोकायुक्त के सक्षम दायर किये गये शिकायत के परिवाद के अन्वेषण के बाद उसके प्रतितोष के लिये लोकायुक्त द्वारा की गयी सिफारिश ।	सक्षम प्राधिकारी को लोकायुक्त की सिफारिश में शिकायत के प्रति प्रतितोष के लिये विनिर्दिष्ट कालावधि की समाप्ति के एक महीने के भीतर लोकायुक्त को

	इसकी सिफारिश की रिपोर्ट के अनुपालन के लिये की गयी कार्रवाई सूचित करना या करवा देना है ।
(2) लोकायुक्त के समक्ष दायर किये गये अभिकथन सम्बन्धी परिवाद के अन्वेषण के बाद लोकायुक्त द्वारा अपने निष्कर्षों और सिफारिश की सक्षम पदाधिकारी को भेजी गयी लिखित रिपोर्ट ।	इसकी प्राप्ति की तारीख से तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोकायुक्त को यह सूचित करना है कि रिपोर्ट के आधार पर क्या कार्रवाई की गयी या करने को प्रस्थापित है ।

(ख) तत्कालीन मुख्य सचिव श्री पी.के. जे. मेनन द्वारा सभी प्रधान सचिवों/सचिवों तथा विभागाध्यक्ष को सम्बोधित अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या ओ. एम./एल 2-019/74-507 दिनांक 18 जुलाई, 1974 में लोकायुक्त से प्राप्त अधियाचनों के अनुपालन के लिये निम्न निर्धारित समय सीमाएँ–

(1) जिस लोक सेवक के पास अधियाचना भेजी जाती है उनके पास दस्तावेज उपलब्ध रहने पर ।	सम्बन्धित लोक सेवक द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि के तीन दिन के अन्दर ।
(2) जिस स्थान पर सम्बन्धित लोक सेवक पदस्थापित हों उस स्थान में अवस्थित अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयों से दस्तावेज संग्रह करने की स्थिति में ।	सम्बन्धित लोक सेवक द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर ।
(3) जिस स्थान पर सम्बन्धित लोक सेवक पदस्थापित हो उस स्थान से अन्यत्र अवस्थित अधीनस्थ कार्यालय या कार्यालयों से दस्तावेज संग्रह करने की स्थिति में ।	सम्बन्धित लोक सेवक द्वारा अधियाचना की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर ।

टिप्पणी :- अगर कागज पत्र को संग्रह करने में उपर्तांकित समय सीमा से अधिक समय की आवश्यकता हो तो इसके कारणों को दर्शाते हुए सम्भावित विलम्ब की सूचना लोकायुक्त के कार्यालय को भेजना है ।

(4) अधियाचित दस्तावेज कागज पत्र भेजने का समय निर्गताधीन कागज पत्र के साथ विभागों/कार्यालयों द्वारा भेजी गयी सूची (चार प्रतियों में) की एक प्रति लोकायुक्त कार्यालय द्वारा मूल कार्यालय को वापसी ।	लोकायुक्त के कार्यालय भेजी गयी सूची की जांच करेगा एवं तीन दिनों के भीरत उसकी प्रति मूल कार्यालय को वापस कर देगा । इस अवधि तक प्रेषक प्राधिकारी लोकायुक्त कार्यालय के रसीद प्राप्ति के लिये प्रतीक्षा करेगा और यदि उसकी प्राप्ति उस अवधि में न हो तो उन्हें लोकायुक्त के कार्यालय को इसके लिए स्मार भेजना है ।

टिप्पणी :- उपर्युक्त स्थिति में अंकित किये जानेवाले तथ्यों का विवरण उपर्युक्त निर्देश पत्र की कंडिका-3 में है ।

(5) लोकायुक्त द्वारा मांगी गयी सूचना	यह सूचना तत्परतापूर्वक संग्रह की जाय । इस अधिसूचना के अनुपालन में सात दिनों से अधिक समय नहीं लगना चाहिए ।

टिप्पणी :- यदि किसी विशेष मामले में लोकायुक्त के अधियाचन के अनुपालन में कोई युक्तिसंगत संदेह हो तो अधियाचन के अनुपालन में कठिनाइयों को दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय को तुरंत प्रत्युत्तर भेजना है । प्रकट की गयी कठिनाइयों को लोकायुक्त द्वारा मान्य समझा जाय तो उस मामले को उस स्थिति में निष्पादित समझा जाय। यदि कठिनाई अमान्य पाई जाय तो उस हालत में लोकायुक्त सरकार के पास उस मामले को उठा सकते हैं ।

(6) लोकायुक्त अधिनियम की धारा 13(3) (1) के अन्तर्गत किसी अन्वेषण के संचालन के लिये पदाधिकारी या अनुसंधान ऐजेन्सी की सेवाओं के उपयोग के लिये भेजे गये अधियाचन।	इस अधियाचन का अनुपालन यथाशीघ्र न्यूनतम समय में किया जाय एवं किसी हालत में संबंधित विभागाध्यक्ष को लोकायुक्त के कार्यालय को उत्तर भेजने में एक सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए । इस बीच विभागाध्यक्ष जहां आवश्यक हो सरकार का आदेश प्राप्त कर लेंगे एवं लोकायुक्त द्वारा सौंप गये कार्य को हाथ में लेने के लिये सम्बन्धित पदाधिकारी/एजेन्सी को सतर्क भी कर देंगे । तदुपरांत ऐसे पदाधिकारी या एजेन्सी को लोकायुक्त के अनुदेश की प्रतीक्षा करना चाहिए ।

3. मुझे अनुरोध करना है कि उपर्युक्त समय सीमाओं की विवरणी आपके विभाग में लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त पत्रों आदि के निष्पादन के उद्देश्य से गठित कोषांग में किसी प्रत्यक्ष स्थान पर अनुरक्षित रखी जाय, ताकि उनके प्रभारी पदाधिकारी लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त लोकायुक्त प्रतिवेदन/अधियाचन के निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन पर समुचित ध्यान दे सकें एवं उसके अनुपालन के लिये भी अनिवार्य रूप से समुचित सतर्कता बरत सकें ।

4. कृपया इस पत्र की प्राप्ति की सूचना दें ।

विश्वासभाजन,

ह०/-ईश्वरी प्रसाद

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञाप संख्या-ओ.एम./एल 2-034/77-42

पटना, दिनांक 19 जनवरी, 1978

प्रतिलिपि - लोकायुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह०/-ईश्वरी प्रसाद

सरकार के प्रधान सचिव ।

पत्र संख्या-16/ वि० छ० को०-9-05/90 313

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

(जिला पुनर्गठन शाखा)

प्रेषक,

एस० एन० विश्वास,

सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त/सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना, दिनांक 29 सितम्बर, 1992 ।

प्रेषक :- राज्य स्तर पर अतिरेक घोषित/छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि राज्य सरकार छटनीग्रस्त/अतिरेक घोषित कर्मचारियों के समायोजन चिंतित है । पूर्व में इस संबंध में अनेक परिपत्र निर्गत हुये हैं और उनके द्वारा प्रत्येक घोषित/छटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची की मांग की जाती है किन्तु पदाधिकारी द्वारा एवं विहित प्रपत्र में पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उनपर कोई कार्रवाई करा संभव नहीं हो सका है । अभी हाल ही में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा इस संबंध में संकल्प संख्या 209 दिनांक 6-7-92 निर्गत हुआ है और इसकी प्रतिलिपि सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय युक्तिों एवं जिलाधिकारियों को गयी है । उक्त संकल्प की कंडिका "च" के और केवल राज्य सरकार के सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में युक्त एवं बाद में अतिरेक घोषित/छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन की कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा की जानी है ।

2- संकल्प की कंडिका 2, 3,4,5 एवं 6 में सरकारी उपक्रमों, कार्य विभागों, सहकारिता संस्थाओं, स्वशासी संस्थानों एवं अन्य अर्द्ध सरकारी संस्थानों के छटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के लिये अलग प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ।

अतः कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के छटनीग्रस्त कोषांग को संकल्प की कंडिका "च" के अनुसार केवल राज्य के विभागों एवं उनके कार्यालयों के छटनीग्रस्त/अतिरेक कर्मचारियों की सूची ही भेजना है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्तानुसार कृपया अपने विभाग संबंधित रिक्ति एवं छटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में भरकर निर्गत की तिथि से एक माह के भीतर अवश्य भेजने की कृपा करें ताकि इस पर आगे की कार्रवाई की जा सके । छटनीग्रस्त/अतिरेक कर्मचारियों की सूची विभागाध्यक्ष/विभागीय सचिव द्वारा जांच-पत्र (संलग्न) में ही भेजी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-एस० एन० विश्वास

सरकार के सचिव

छटनीग्रस्त/अतिरेक कर्मचारियों के समायोजन हेतु ।

1- कर्मचारी का नाम-

2- पता-

3- जन्म तिथि -

4- कार्यालय/विभाग का नाम-

5- नियुक्ति पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम-

6- नियुक्त करने वाले पदाधिकारी को नियुक्ति करने की शक्ति प्राप्त थी या नहीं ?-

7- नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध की गयी थी या नहीं-

8- नियुक्ति किसी अवधि के लिये की गयी थी या अनिश्चित काल के लिये-

9- नियुक्ति स्थायी/अस्थायी या तदर्थ रूप में की गयी थी -

10- नियुक्ति की तिथि -

11- पद का नाम एवं वेतनमान-

12- क्या नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का पालन किया गया है कि नहीं -

13- नियुक्ति में पद विज्ञापित कर अथवा नियोजनालय के माध्यम से नाम मांग कर नियुक्ति की गयी थी या नहीं-

14- कुल सेवा की अवधि-

15- छटनीग्रस्त/अतिरेक कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलायें या सामान्य जाति के हैं-

प्रमाणित किया जाता है कि समायोजन के लिये अनुशंसित व्यक्ति कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या 209 दिनांक 6-7-92 में दी गयी परिभाषा के अनुसार छटनीग्रस्त/अतिरेक घोषित कर्मचारियों की श्रेणी में आते हैं और जांच-पत्र में दिये गये विवरण मेरी जानकारी में सही हैं ।

कार्यालय प्रधान का हस्ताक्षर	विभागाध्यक्ष का हस्ताक्षर	प्रशासी विभाग के आयुक्त एवं सचिव का हस्ताक्षर

पत्र संख्या-16/जि० पु० 8-05/90-209

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

(जि० पु० शाखा)

संकल्प

दिनांक 6 जुलाई, 1992

विषय :- राज्य स्तर पर अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के संबंध में नीति निर्धारण ।

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार) के संकल्प संख्या का०/प्र० सु० 205/79-106 प्र० सु० दिनांक 5.9.79 द्वारा राज्य स्तर पर छँटनीग्रस्त कर्मचारियों को समायोजित करने के संबंध में नीति निर्धारित की गयी थी ।

उक्त संकल्प के आधार पर छँटनीग्रस्त कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें समायोजित करने में अनेक कठिनाइयों का अनुभव किया गया। अत: पूर्व के संकल्प एवं उसके बाद निर्गत तत्संबंधी अन्य परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए एवं सभी पहलुओं पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन हेतु निम्नांकित निर्णय लिया है :-

छँटनीग्रस्त की परिभाषा :-

अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारी उन्हें माना जायेगा जो :-

(क) राज्य सरकार के किसी सरकारी पद पर कम से कम लगातार छ: माह तक नियुक्त रहे हों और जो मितव्ययिता, कार्यसमापन/पद स्वीकृति की समाप्ति के कारण दिनांक 31.10.78 (जिस तिथि से पिछड़े वर्गों एवं अन्य वर्गों को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ दिया गया है) या उसके बाद सक्षम पदाधिकारी के आदेश से, जिसमें उपरोक्त में से कोई कारण अंकित हो, सेवा मुक्त किये गये हों अथवा अतिरेक घोषित किये गये हों ।

(ख) जिनकी नियुक्ति में आरक्षण के नियमों का अनुपालन किया गया हो; तथा;

(ग) जिनकी नियुक्ति उक्त पद पर नियुक्ति की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार (पद विज्ञापित कर अथवा जिला नियोजनालय के माध्यम से अथवा जिलाधिकारी के पैनेल से) की गयी है ।

(घ) सीमित अवधि (Tenure Appointment) यथा कॉन्ट्रेक्ट जॉब पर दिये गये नियुक्त व्यक्तियों की नियुक्ति समाप्त होने पर उन्हें छँटनीग्रस्त नहीं माना जायगा ।

(च) उपर्युक्त परिभाषा के अनुसार केवल सरकारी विभागों एवं उनके क्षेत्रीय कार्यालयों में नियुक्त एवं बाद में अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन की कार्रवाई कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के छँटनीग्रस्त कोषांग द्वारा की जायगी ।

2. लोक उपक्रमों में अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन के संबंध में कार्रवाई हेतु लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा समुचित निदेश निर्गत किये जायेंगे क्योंकि वे भी अतिरेक/छँटनीग्रस्त की उपर्युक्त परिभाषा में आते हैं ।

3. कार्य विभागों के अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कार्यभारित कर्मचारियों एवं किसी कार्य विशेष के लिये लगाये गये कर्मियों के समायोजन की जिम्मेवारी संबंधित कार्य विभागों की होगी जिसके लिये पहले से ही परिपत्र निर्गत है ।

4. सहकारिता विभाग के वैसे अतिरेक घोषित छँटनीग्रस्त कर्मियों, जिनकी नियुक्ति सहकारी संस्थाओं द्वारा की जाती है, के समायोजन की जिम्मेवारी संबंधित सहकारिता संस्थाओं की होगी बशर्ते कि वे अतिरेक/छँटनीग्रस्त की उपुर्यक्त परिभाषा में आते हों ।

5. नगर विकास विभाग के नियंत्रणाधीन स्वशासी संस्थानों के अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजन की जिम्मेवारी स्वशासी संस्थानों की होगी तथा इसके लिये नगर विकास विभाग आवश्यक कार्रवाई करेगा, बशर्ते कि वे छँटनीग्रस्त की उपर्युक्त अंकित परिभाषा के अन्तर्गत आते हों ।

6. अन्य अर्द्धसरकारी संस्थानों एवं स्वशासी संस्थानों के लिये छँटनीग्रस्त कर्मचारी उन्हें ही माना जायेगा जिनकी नियुक्ति आरक्षण नीति के अनुपालन में (रोस्टर क्लियेरेंस करा के) तथा उस निकाय में लोक उद्यम ब्यूरो अथवा नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित नियुक्ति की विहित प्रक्रिया के अधीन हुई हों । ऐसे छँटनीग्रस्त/अतिरेक घोषित कर्मचारियों के समायोजन की कार्रवाई लोक उद्यम ब्यूरो द्वारा की जायेगी ।

7. इस संकल्प के निर्गत होने की तिथि से सरकारी विभागों में वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के वैसे पदों, जिन पर नियुक्ति लोक सेवा आयोग एवं अवर सेवा चयन पर्षद की अनुशंसा के आधार पर की जाती है, को छोड़कर शेष पदों पर बाहरी व्यक्तियों की नियुक्ति आरक्षण नीति एवं नियुक्ति की विहित प्रक्रिया के अनुसार तभी की जायेगी जब उसके लिये अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारी उपलब्ध न हो । इस आशय की सूचना/सूची कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के विशेष छँटनीग्रस्त कोषांग से उपलब्ध करनी होगी । अतः जबतक छँटनीग्रस्त कोषांग से सूचना प्राप्त न हो जाय उन पदों पर कोई सीधी नियुक्ति नहीं की जायगी ।

8. समायोजन करने हेतु सूची बनाने एवं नाम भेजने के लिए अतिरेक घोषित कर्मचारियों को छँटनीग्रस्त कर्मचारियों पर प्राथमिकता दी जायगी ।

9. अतिरेक/छँटनीग्रस्त घोषित किये जाने की तिथि को ही इनकी आपसी वरीयता का आधार माना जायेगा ।

10. विशेष छँटनीग्रस्त कोषांग में अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों की विभागवार सूची बनायी जायेगी परन्तु समायोजन के लिये नाम भेजते समय अतिरेक घोषित/छँटनीग्रस्त की पूरी सूची से वरीयता क्रमानुसार नाम भेजा जायेगा ।

11. अतिरेक/छँटनीग्रस्त कर्मचारियों की परिभाषा तथा समायोजन की प्रक्रिया निर्धारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग करेगा ।

12. इस संबंध में यदि परिभाषा अथवा प्रक्रिया संबंधी कोई विवाद अथवा अस्पष्टता हो तो उस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का मन्तव्य लेना अनिवार्य होगा ।

13. सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों एवं स्वशासी संस्थाओं जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत उद्योग की परिभाषा में आते हैं, उन कार्यालयों के कर्मचारियों के मामले में छँटनीग्रस्त एवं उनके समायोजन की कार्रवाई औद्योगिक विवाद अधिनियम के नियम 25 (एफ), 25 (एफ-एफ) (जी) एवं 25 (एच) के अनुसार की जायेगी ।

आदेश- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/सभी विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों एवं सभी जिला पदाधिकारियों को भेजी जाए जो अपने-अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों/लोक उपक्रमों/स्वशासी निकायों/कार्यालय प्रधानों को इससे अवगत करायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/-अशोक कुमार चौधरी
सरकार के सचिव ।

पत्र संख्या-7/पी 4-401/92 का०-10017

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राम शंकर प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

सेवा में,

उपायुक्त, रांची ।

पटना-15, दिनांक 7 सितम्बर, 1992

विषय :- **शस्त्र अधिनियम की धारा 25 (1) बी/26/25 के अन्तर्गत अभियोजना की स्वीकृति प्रदान करने की शक्ति के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 6/वि. दिनांक 27-4-92 के प्रसंग में मुझे कहना है कि राज्य सरकार ने विषय की समीक्षा कर विधि विभाग एवं महाधिवक्ता, बिहार, पटना से परामर्श कर निम्नांकित निर्णय लिया है :-

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 39 के तहत अभियोजन की स्वीकृति के लिए अपर जिला दण्डाधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत सक्षम है । उपर्युक्त अधिनियम की धारा 39 के तहत अपर जिला दण्डाधिकारी द्वारा दिया गया अभियोजन की स्वीकृति वैध है । उक्त अधिनियम की धारा 39 के अन्तर्गत अपर जिला दण्डाधिकारी, जिला दण्डाधिकारी हैं । अतः अपर जिला दण्डाधिकारी को उक्त शक्ति प्रदान करने के संबंध में किसी प्रकार की अधिसूचना अलग से करने की आवश्यकता नहीं है ।

सुविधा के लिए विधि विभाग के परामर्श का प्रासंगिक उद्धरण संलग्न किया जा रहा है ।

विश्वासभाजन,

ह०/-राम शंकर प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

ज्ञापांक-7/पी 4-401/92 का.-10017 पटना-15, दिनांक 7 सितम्बर, 1992

प्रतिलिपि, विधि विभाग, बिहार, पटना/निबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिलाधिकारी को सूचनार्थ अग्रसारित ।

ह०/-राम शंकर प्रसाद,

सरकार के अपर सचिव ।

2. Any rules made by the Central Government under this Act may confer powers or impose duties or authorise the conferring of powers or imposition of duties upon any State Government or any officer or authority sub-ordinate thereto.

(Underlined by me for emphasis)

From perusal of Section-43 it is apparent that it is relating to delegation of powers with respect to the matters which are to be exercised under the Act by the Central Government and from perusal of Section 43(2) of the Act it is apparent that Central Government can also confer power or impose duty on any authority or State Government under Rules framed thereunder. Section 44 is a Rule making poower of the Central Government and in exercise of the powers conferred under section-44 of the Act the Central Government has framed rules "The Arms Rules 1962".

Under Rule 2 (f) of the said Rules District Magistrate include an Additional District Magistrate or any other officer especially empowered in this behalf by the Government of the State concerned.

Hence in my opinion, the grant of sanction under Section 39 of the Act for prosecution under section 3 of the Act by the Addl. District Magistrate is legal and just. Thus in view of the aforesaid facts and the legal position there is no need of any notification for conferring power to the Addl. District Magistrate. Additional District Magistrate is District Magistrate within the meaning of Section-39 of the Act.

Sd/-Government Pleader No. I

28.7.92

Sd/-Illegible 31.7.92

पत्र संख्या-3/एम 1-20102/91-का०-15523

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

सचिव, कार्मिक विभाग ।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उपायुक्त ।

पटना-15, दिनांक 25 नवम्बर, 1991।

विषय :- **विभिन्न विभागों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के द्वारा लोक सेवा से संबंधित नियमों, नियमावलियों, संकल्पों और परिपत्रों के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से परामर्श, सहमति अथवा मार्गदर्शन दिये जाने अथवा शिथिलीकरण की अपेक्षा किये जाने के संबंध में ।**

महोदय,

निदेशानुसार कहना है कि सरकार के विभाग/विभागाध्यक्ष/क्षेत्रीय पदाधिकारी सामान्यत: लोक सेवा से संबंधित संवैधानिक और वैधानिक पहलुओं, सरकार की नीति, नियमों, संकल्प और परिपत्र से अवगत रहते हैं तथापि विभागों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय पदाधिकारियों के स्तर पर संबंधित अधिनियम, नियम, नियमावली, संहिता, संकल्प और परिपत्र का समुचित रूप से संधारण नहीं किए जाने के फलस्वरूप तथा संबंधित मामलों में अपने स्तर पर विवेचन कर निर्णय नहीं लेकर अधिकतर मामलों की संचिकायें अनावश्यक रूप से परामर्श, सहमति अथवा मार्गदर्शन के लिए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को भेजी जाती है अथवा पत्राचार किया जाता है जिसके फलस्वरूप एक ओर तो विभागों/विभागाध्यक्षों/क्षेत्रीय कार्यालयों में संबंधित मामलों का निष्पादन अनावश्यक रूप से लंबित रहता है । दूसरी ओर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का कार्यभार अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है ।

2. अतएव अनुरोध करना है कि लोक सेवा से संबंधित सरकार की नीति, नियम, नियमावली, संकल्प और परिपत्र के निर्वचन के लिए संचिकाओं को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को परामर्श/मार्गदर्शन/सहमति अथवा शिथिलीकरण/ संशोधन के लिए भेजे जाने अथवा पत्राचार करने के संबंध में निम्नलिखित विन्दुओं पर विचार करें ।

(I) विभाग/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/उपायुक्त के स्तर पर लोक सेवा से संबंधित नियम, नियमावली, संकल्प और परिपत्रों के संधारण की एक अलग व्यवस्था की जाय । शायद स्थापना प्रशाखा के

एक सहायक को यह कार्य विशिष्ट रूप से सौंपा जाय, ताकि इसके अभाव में संचिका भेजने अथवा पत्राचार करने की आवश्यकता भविष्य में उत्पन्न नहीं हो ।

(II) यदि मामला उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय में अथवा विधान मंडल या विधान मंडलीय किसी समिति में विचाराधीन हो तो संचिकाएं कम से कम निर्धारित तिथि के एक माह पूर्व अवश्य भेज दी जाय, ताकि पूर्ण विचार कर समयानुसार वापस करना संभव हो ।

(III) संचिकाओं के साथ प्रस्ताव और संबंधित कागजातों की छाया संचिका अवश्य हो ।

आपके द्वारा उपरोक्त विन्दुओं पर विचार करने पर ऐसे मामलों के निष्पादन में गति आयेगी ।

विश्वासभाजन,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।

बिहार गजट

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

18 पौष 1913 (श०)

संख्या 2 पटना, बुधवार

8 जनवरी 1992 (ई०)

ज्ञापांक 7/च.प.-1-202/91-13596 का०

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

22 अक्तूबर 1991

विषय :- बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद् को विघटित कर उसके द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों को बिहार लोक सेवा आयोग को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार के सचिवालय विभागों/विभागाध्यक्षों तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा नियुक्ति किये जाने वाले सभी प्रावैधिक एवं गैर-प्रावैधिक तृतीय श्रणी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रियाओं का संचालन कार्य हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या का. प्र. 3-301/78-23-प्र. सु., दिनांक 20 अप्रैल 1981 द्वारा बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद् का गठन किया गया था ।

2. राज्य सराकर के सभी असैनिक/अवर असैनिक सेवा तथा सचिवालय विभाग/विभागाध्यक्ष और संलग्न कार्यालयों के लिए तृतीय श्रेणी के सभी पदों जिनके लिए उम्मीदवारों की अर्हतायें लगभग एक-सी हैं एक ही संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर मेधा के आधार पर विभिन्न स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा किया जाना उम्मीदवारों के हित में तथा राज्य सरकार के वित्तीय हित में होगा । अतः राज्य सरकार ने सरकार के विभागों/विभागाध्यक्षों तथा संलग्न कार्यालय के स्तर के सभी तृतीय श्रेणी के अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा किये जाने में एकरूपता रखने के दृष्टिकोण से बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद् को समाप्त कर उसके द्वारा किये जा रहे सभी कार्यों को बिहार लोक सेवा आयेाग को सौंप दिये जाने का निर्णय लिया है ।

3. बिहार राज्य अवर सेवा पर्षद् तत्काल जो परीक्षा ले चुका है, उसका परीक्षाफल दिनांक 28 फरवरी 1992 तक प्रकाशित कर देगा तथा उसके उपरान्त पर्षद में कार्यरत सभी कार्मिक एवं सभी संसाधन (एसेट्स) लोक सेवा आयोग में हस्तांतरित समझा जायगा ।

4. इस संकल्प के निर्गत किये जाने की तिथि से राज्य सरकार के वर्ग 3 के सभी पदों पर नियुक्ति के लिए

आगामी परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जायगी, जिन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा तत्काल अवर सेवा चयन पर्षद द्वारा की जाती है ।

5. बिहार लोक सेवा आयोग में कर्मियों की आवश्यकता पर उनका प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाद में सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा ।

आदेश – आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार राज्य अवर सेवा चयन पर्षद/सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/संलग्न कार्यालयों तथा बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी जाय ।

यह आदेश निर्गत होने की तिथि से लागू होंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-अशोक कुमार चौधरी

सरकार के सचिव ।